रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 26 जून, 1974
आषाढ़ 5, 1896 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या : 1879/17-वि-1-52-74
लखनऊ, 26 जून, 1974

विज्ञप्ति
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष की पेन्शन विधेयक, 1974 पर दिनांक 24 जून, 1974 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है :

उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष की पेन्शन अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1974)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

निवर्ती अध्यक्षों को पेन्शन देने की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष की पेन्शन अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

निवर्ती अध्यक्षों को पेन्शन इत्यादि

2—(1) इस धारा के उपबन्धों क अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो कम से कम अड़सठ वर्ष की आयु का हो जान और कम से कम दस वर्ष तक (जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व की कोई अवधि भी है) उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के पद पर रहने के पश्चात् उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के पद पर या तो अपनी पदावधि की समाप्ति या अपने पद से त्याग-पत्र देने के कारण, न रह जाय, शेष जीवन पर्यन्त तीन सौ रुपया प्रतिमास पेन्शन तथा डेढ़ सौ रुपया प्रतिमास सहायता भत्ता का और राज्य सरकार के किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए, निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार का भी हकदार होगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में लागू न होगी जो, अध्यक्ष के पद पर न रह जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल या संसद् के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हो।

(3) यदि कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन पेन्शन तथा भत्ता पाने का हकदार हो जाय, बाद में राज्य विधान मण्डल या संसद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हो जाय अथवा उसका सदस्य नाम निर्दिष्ट किया जाय, या संघ अथवा राज्य में मंत्री पद स्वीकार कर ले, अथवा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य लाभ का पद स्वीकार करे तो वह अपने शेष जीवन के लिए उक्त पेन्शन तथा भत्ता पाने और निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार का हक़दार न रह जायेगा।

गत विधान सभा के अध्यक्ष को लागू होना

3—धारा 2 के उपबन्ध उस व्यक्ति पर जो 18 मार्च, 1974 तक पांचवीं विधान सभा के अध्यक्ष के पद पर रहा हो, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू होते हैं जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् अध्यक्ष के पद पर न रह जाय।

पेन्शन राज्य के संहत निधि पर भारित होगी

4—इस अधिनियम के अधीन देय कोई धनराशि राज्य की संहत निधि पर भारित होगी।

No. 1879 (2) /XVII-V—1-52-74

Dated Lucknow, June 26, 1974

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vidhan Sabha Adhyaksh Ki Pension Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor one June 24, 1974 :

UTTAR PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S PENSION ACT, 1974

(U. P. Act no. 10 of 1974)

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN
ACT

to provide for the payment of pension to retiring Speakers.

It is hereby enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Legislative Assembly Speaker's Pension Act, 1974.

Pension etc. to retiring Speakers.

2. (1) Subject to the provisions of this section, every person who ceases to hold office as Speaker of the Uttar Pradesh Legislative Assembly, either by the expiration of his term of office or by resignation of his office, after having attained the age of not less than sixty-eight years and having held the office of Speaker for not less than ten years (including any period before the commencement of this Act), shall be entitled to a pension of three hundred rupees per month and assistance allowance of one hundred and fifty rupees per month and, subject to any orders of the State Government in this behalf, also to medical attendance and treatment free of charge, for the remainder of his life.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply in respect of a person who, after ceasing to hold office as Speaker, is a candidate for election to the State Legislature or to Parliament.

(3) Where any person who becomes entitled to receive pension and allowance under sub-section (1) subsequently becomes a candidate for election to, or is nominated as a member of, the State Legislature or Parliament, or accepts the office of Minister, either for the Union or the State, or accepts any other office of profit under the Government of India or the Government of any State, shall cease to become entitled to the said pension and allowance and free medical attendance and treatment for the remainder of his life.

3. The provisions of section 2 shall apply to the person who held office as the Speaker of the Fifth Vidhan Sabha until March 18, 1974, as they apply to any person who ceases to hold office as Speaker after the commencement of this Act.

Applicability to the Speaker of the last Legislative Assembly.

4. Any sum payable under this Act shall be charged on the Consolidated Fund of the State.

Pension to be charged on the Consolidated Fund of the State.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 136 राजपत्र (हिन्दी)—788—1974—2,095+150 (मे०) ।